

**कार्यालय मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)**

ज्ञाप क्र. /सा/मगोक/2026/ 2942
प्रति,

रायपुर, दिनांक 24/04/2026

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विषय :- गरियाबंद जिले के पैरी परियोजना के अंतर्गत सिकासार जलाशय से कोडार जलाशय
लिंक नहर (पाईप लाईन) योजना के लम्प-सम निविदा दस्तावेजों के अनुमोदन बाबत।
संदर्भ :- सचिव, छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर का ज्ञाप क्रमांक
16/छ.ग.सि.प.म./2025/13 रायपुर दिनांक 24.04.2026

— 000 —

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से विभागीय प्रस्ताव पर Tender Document में संशोधन का सुझाव दिया गया है, उक्त सुझाव पर विभागीय टीप बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

स. क्र.	बिन्दु	टीप	अभियुक्ति
01	02	03	04
1.	2.1 संलग्न Volume -I Envelope - B Volume - II & Envelope - C में अंकित Name of work में निम्नानुसार आंशिक सुधार आवश्यक प्रतीत होता है :- "Construction of sikasar to kodar reservoir link canal (Pipeline) under Paury Project scheme including testing trials & run, commissioning and operation & Maintenance of the complete Systems for 5 (five) years after completion of the construction work	सुझाव अनुसार Name of Work में संशोधन किया जावेगा।	
2.	2.2 संलग्न एजेंडा नोट के स्कोप ऑफ वर्क के बिन्दु (S) को निम्नानुसार संशोधित किया जाये:- "प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद 5 वर्ष तक (वर्षा ऋतु सहित) आपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) कार्य आदि सभी कार्य इंजीनियर-इन-चार्ज के निर्देशों के अनुरूप किया जाना शामिल है"	सुझाव अनुसार कंडिका में संशोधन किया जावेगा।	
3.	2.3 Volume-I & Envelope-B के पैरा 2.2 (Page-10) निम्नानुसार सुधार किया जाये- "... (2.2) Operation and maintenance Period of 5 (five) year after issue of Physical Completion certificate of construction work by Engineer in charge.	सुझाव अनुसार कंडिका में संशोधन किया जावेगा।	
4.	2.4 Completion Certificate का Prescribed format Enclose किया जाये।	सुझाव अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रपत्र संलग्न किया जावेगा।	

स. क्र.	बिन्दु	टीप	अभियुक्ति
01	02	03	04
5.	2.5 प्रस्तावित लम्प-सम निविदा की समस्त अर्हताएं एवं तकनीकी विन्दुओं के संबंध में प्रशासकीय विभाग स्वयं के स्तर पर निर्णय लिया जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।	सुझाव अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।	
6.	3/ साथ ही विभाग को यह अभिमत दिया जाता है कि 3.1 कार्य की निविदा प्रक्रिया में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पर्याप्त सहभागिता एवं technical qualification तथा bid capacity संबंधी अर्हताओं का पालन सुनिश्चित किया जावे।	सुझाव अनुसार संबंधी अर्हताओं का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।	
7.	3.2 Works Manual के अनुसार tender documents approval का कार्य प्रशासकीय विभाग का है, अतः वित्त विभाग किसी भी त्रुटि/प्रक्रिया में कमी हेतु जवाबदेह नहीं होगा। निविदा दस्तावेज का सम्पूर्ण परीक्षण विभाग स्तर पर कर प्रशासकीय अनुमोदन के अनुसार हो।	सुझाव अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।	
8.	3.3 annexure-1 की कंडिका 1.2 (b) रखी जावे। 1.2 (b) - (Satisfactorily completed at least One similar project costing minimum 50% (fifty percent) of the probable amount of contract as on date of submission of Financial Offer. Or (ii) Satisfactorily completed at least Two similar projects each costing minimum 40% (forty percent) of the probable amount of contract for which the tender invited as on date of submission of Financial Offer.	स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं पर्याप्त सहभागिता को ध्यान में रखते हुए 3.3 Annexure-1 की कंडिका 1.2 (b) में प्रस्तावित अर्हता निम्नानुसार रखी जावें। i. Satisfactorily Completed / Substantially completed at least One similar Irrigation project or Water supply Project, involving the laying of MS pipe line Project and costing minimum 50% (Fifty percent) of the probable amount of contract as on date of submission of Financial Offer. Or ii. Satisfactorily Completed/ Substantially completed at least Two similar Irrigation project or Water supply Project, involving the laying of MS pipe line projects and costing minimum 40% (Forty percent) each, of the probable amount of contract for which the tender invited as on date of submission of Financial Offer	Substantially completed means 90% of physical and financial progress achieved.
9.	3.4 मोबिलाइजेशन एवम Tools and Plant एडवांस की वसूली की कंडिका 4.58 में व्याज दर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंक रेट से 1% अधिक का प्रावधान रखा गया है, जिसे Bank Rate + 3% (वर्तमान में 5.5%+3%=8.5%) रखा जाए।	सुझाव के अनुसार कंडिका में सुधार किया जावेगा।	

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

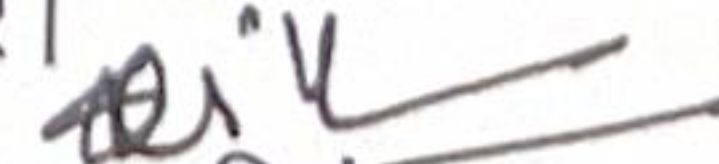
पृ. क्र. /सा/मगोक/2026/
प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उच्च कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- निरंक।


मुख्य अभियंता

महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)
रायपुर, दिनांक / /2026


मुख्य अभियंता

महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)